महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या 2277/नौ-4-12-08ज/2012

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

19628
22/5/12

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक-22 मई, 2012

विषय- पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-2608/2011 में दिनांक 27.04.2012 को पारित निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के पत्र संख्या-4/1/2002टीसी-1-का-2/12, दिनांक 08.05.12(छायाप्रति संलग्न), संख्या-4/1/2002टी.सी.-1-का-2/12, दिनांक 13.05.12(छायाप्रति संलग्न) एवं कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-15/66/81-का- 1-12, दिनांक 08.05.12(छायाप्रतिसंलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्रों में कार्मिक विभाग द्वारा की गई व्यवस्थानुसार वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

21/5/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

2

35-E/2003 क्रमांक-96

संख्या–4/1/2002टी.सी.–1–का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनॉक : 13 मई, 2012

विषय : पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता समाप्त किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग–2 के समसंख्यक शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 के प्रस्तर–5(ख) एवं 6(ख) को प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पदोन्नति में आरक्षण एवं पारिणामिक ज्येष्ठता समाप्त किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–4/1/2002टी.सी.1–का–2/2012 दिनांक 08 मई, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. सम्यक् विचारोपरान्त वर्णित शासनादेश के प्रस्तर–5(ख) एवं 6(ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

वर्तमान प्रस्तर	प्रतिस्थापित प्रस्तर
5(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर–4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरुप ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनॉक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम 8–क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है। उक्त का आशय यह है कि सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता के अवधारण की कार्यवाही अब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठता अवधारण में परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।	प्रस्तर 5(ख)– इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर–4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनॉक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम 8–क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है।

6(ख) जिन संवर्गों /पदों की ज्येष्ठता सूचियॉ, ज्येष्ठता नियमावली के नियम–8–क के आधार पर परिणामिक ज्येष्ठता देते हुये निर्गत की गयी हों, उनमें से परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुये ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित/परिवर्धित कर लिया जाये।	प्रस्तर 6(ख)– जिन संवर्गों/पदों की ज्येष्ठता सूचियां पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के नियम 8(क) के आधार पर पारिणामिक ज्येष्ठता देते हुए निर्गत की गयी थीं, नियम 8(क) के निरस्त होने के कारण उक्त ज्येष्ठता सूचियां स्वतः निष्प्रभावी हो गयीं हैं। उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रशासनिक विभागों द्वारा पदोन्नति करने के उद्देश्य से ज्येष्ठता सूचियों के बारे में निम्नवत् कार्यवाही की जाये:– (अ) यदि प्रशासकीय विभाग सन्तुष्ट हैं कि पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देते हुए निर्गत ज्येष्ठता सूची से पूर्व की निर्गत ज्येष्ठता सूची, जिसमें पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ नहीं दिया गया था, को विधिवत रूप से परिचालित कर आपत्तियां आमंत्रित कर और उनके निस्तारण के उपरान्त तैयार किया गया था, और जो किसी न्यायालय के आदेश से बाधित नहीं है, तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उस ज्येष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है। (ब) अन्यथा की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली–1991 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर अन्तिम रूप दे दिया जाय व तदोपरान्त इन ज्येष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

3. उपरोक्तानुसार वर्णित शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 के प्रस्तर–5(ख) एवं 6(ख) को प्रतिस्थापित किये जाने के फलस्वरूप उक्त शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित कर दिया गया है। अतः कृपया प्रस्तर–2 में उल्लिखित निर्णय के अनुसार पदोन्नति के परिपेक्ष्य में तत्काल यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया लिये गये उपरोक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत करा दें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

कृपया पृष्ठ–3/–

पृष्ठांकन संख्या—4/1/2002(1)टी.सी.—1—का—2/2012 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4— वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
5— समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या–4/1/2002टी.सी.–1–का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनॉक : 08 मई, 2012

विषय : **पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–2608/2011 में दिनॉक 27.04.2012 को पारित निर्णय के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 28.04.2012 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनॉक 27.04.2012 के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग द्वारा समस्त बिन्दुओं का परीक्षण करते हुये अलग से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेंगे। यह भी उल्लेख किया गया है कि जब तक विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित न कर दिया जाये तब तक किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की पदोन्नति/पदावनति की कार्यवाही न की जाय तथा कार्मिक विभाग के निर्देश/परामर्श की प्रतीक्षा की जाय।

3. प्रश्नगत विषय के सन्दर्भ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत सुनवाई के पश्चात दिनॉक 27.04.2012 को अंतिम निर्णय/आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समादर में निम्नलिखित अध्यादेश, नियमावलियॉ एवं शासनादेश प्रख्यापित/निर्गत किये गये हैं :–

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) (पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी) को हटाये जाने विषयक अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 दिनांक 07 मई, 2012।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक 08 मई, 2012।

(ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रकिया (आठवॉ संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक 08 मई, 2012।

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक 08 मई, 2012 ।

(ड.) पदोन्नति में आरक्षण तथा तत्सम्बन्धी रोस्टर को निरस्त करने विषयक शासनादेश संख्या–4/1/2002/का–2/2012, दिनॉक 08 मई, 2012 ।

5. **(क)** उपर्युक्तानुसार प्रस्तर–4(क) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के प्रख्यापन का आशय यह है कि आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7), जिसमें पदोन्नति के सम्बन्ध में आरक्षण की प्रदेयता विषयक निर्गत शासनादेशों के तब तक लागू रहने जब तक कि उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय, की व्यवस्था थी, को सन्दर्भगत अधिनियम से निकाल दिया गया है। उक्त के परिणामस्वरूप अब पदोन्नति के प्रकम पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देय नहीं है।

(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर–4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनॉक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम 8–क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है। उक्त का आशय यह है कि सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता के अवधारण की कार्यवाही अब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठता अवधारण में परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रस्तर–4(ग) में संदर्भित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रकिया (आठवॉ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणामस्वरूप अब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य वर्ग की पृथक–पृथक तैयार की जाने वाली पात्रता सूचियों के स्थान पर सभी वर्गों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी। ध्यातव्य है कि पदोन्नति में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की देयता समाप्त हो जाने के कारण पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था अप्रासंगिक हो गयी है अतः पृथक–पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

(घ) इसी प्रकार उपर्युक्त प्रस्तर–4(घ) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन का तात्पर्य यह है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति के अवसर पर प्रयुक्त होने वाली अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य वर्ग की पृथक–पृथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर सभी वर्गों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

(ड.) उपर्युक्त प्रस्तर–4 (ड.) में उल्लिखित पदोन्नति में आरक्षण तथा तत्सम्बन्धी रोस्टर को निरस्त करने विषयक शासनादेश संख्या– 4/1/2002/ का–2/2012 दिनॉक 08 मई, 2012 के निर्गमन का आशय यह है कि पदोन्नति के प्रकम पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त शासनादेश एवं

पदोन्नति की प्रक्रिया विषयक निर्गत किये गये रोस्टर निरस्त कर दिये गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त शासनादेश के निर्गमन के परिणामस्वरूप पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से आरक्षण की देयता नहीं रह गयी है।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सारांशतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

(क) पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अब आरक्षण देय नहीं है।

(ख) जिन संवर्गों /पदों की ज्येष्ठता सूचियॉ, ज्येष्ठता नियमावली के नियम–8–क के आधार पर परिणामिक ज्येष्ठता देते हुये निर्गत की गयी हों, उनमें से परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुये ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित/परिवर्धित कर लिया जाये।

(ग) पदोन्नति के अवसर पर पृथक–पृथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर यथाज्येष्ठता एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जाये।

(घ) पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त शासनादेश एवं रोस्टर भी निरस्त हो गये हैं।

7. कृपया उपरोक्त प्रक्रिया का विधिनुसार पालन करते हुये, इस शासनादेश में सन्दर्भित अध्यादेश, नियमावलियों एवं शासनादेश की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का कष्ट करें। कृपया संलग्न अध्यादेश, नियमावलियों एवं शासनादेश की व्यवस्थाओं से अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत करा दें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–4/1/2002(1)टी.सी.–1–का–2/2012 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अध्यादेश, शासनादेश एवं नियमावलियों की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–15/66/81-का-1-2012
लखनऊ :: दिनांक 08 मई,2012

दिनांक 08 मई, 2012 को प्रख्यापित " उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) (आठवॉ संशोधन) नियमावली, 2012" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्रीजी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. नियुक्ति अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
11. अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
अनु सचिव।

क्रम–संख्या–82

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 मई, 2012

बैशाख 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–15/66/81–का-1-2012

लखनऊ, 08 मई, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–16

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 1970 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ;

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) (आठवॉ संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) (आठवां संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–8 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 1970 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पात्रता सूची तैयार करना	8–नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियॉ, उक्त श्रेणी के लिए	पात्रता सूची तैयार करना	8–नियुक्ति प्राधिकारी, ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासम्भव रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:		
प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बंध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियॉ तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियॉ तैयार करते समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी :–		प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बंध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियॉ तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियॉ तैयार करते समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से होगी:–
(1) द्वितीय वर्ष के लिए	(क) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ;	(1) द्वितीय वर्ष के लिए (क) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ;
(2)तृतीय वर्ष के लिए	(ख) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी :	(2)तृतीय वर्ष के लिए (ख) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी :
अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए निमित्त नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके सम्बंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी :		अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके सम्बंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी अंकित कर दी जायेगी :
प्रतिबन्ध यह और भी है कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी		

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	

नियम 21 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पात्रता सूची तैयार करना	21–(1) नियम 22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी से अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियॉं, उक्त श्रेणी के प्रत्येक के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–	पात्रता सूची तैयार करना	21–(1) नियम 22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–
1 से 5 रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 :	1 से 5 रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5:
5 से अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10: परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध न हो किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	5 से अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10:

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए नियम 8 के परन्तुक में दिये गये उपलब्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।	(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए नियम 8 के परन्तुक में दिये गये उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
(3) भाग–3 में विहित शेष प्रकिया यथावश्यक परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होंगी, सिवाय इसके कि भाग–3 में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता कम में तैयार की जायेगी।	(3) भाग–3 में विहित शेष प्रकिया यथावश्यक परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी, सिवाय इसके कि भाग–3 में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता कम में तैयार की जायेगी।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15/LXVI/81-Ka-1-2012, dated May 8, 2012:

No. 15/LXVI/81-Ka-1-2012

Dated Lucknow, May 8, 2012

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Promotion By Selection In Consultation With Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970:

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) (EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2012

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion By Selection In Consultation With Public Service Commission (Procedure) (Eighth Amendment) Rules, 2012.

2. (2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 8

2. In the Uttar Pradesh Promotion By Selection In Consultation With Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 8 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Prepa-ration of eligibi-lity list 8. The appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists, of the senior most eligible candidates from each of the category	Prepa-ration of eligibi-lity list 8. The appointing authority shall prepare a list of the senior most eligible candidates containing names, as far as possible, three times the number of vacancies

	COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said categories containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :	subject to the minimum of eight :
	Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occuring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility lists shall be as follows - .	Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occuring during more than one year of recruitment, separate eligibility list will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows :-
For the second year	(a) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year,	For the second year (a) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year;
For the third year	(b) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year and so on:	For the third year (b) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year, and so on:
	Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names :	Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names .
	Provided also that if, in a year of recruitment, no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virtue of his seniority, in the eligibility list of the general category candidates, such person shall also be included in the eligibility list of General category candidates	

Substitution of rule 21

3. In the said rules, for existing rule 21 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

	COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Preparation of eligibility list	21.(1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior most eligible candidates from each of the categories namely General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of the vacancies available for each of the said sections containing names, so far as may be, in the following proportion :-	Preparation of eligibility list	21.(1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare a list of the senior most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion :-
For 1 to 5 vacancies	2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5-	For 1 to 5 vacancies	2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5;
For over 5 vacancies	1.5 times the number of vacancies subject to a minimum of 10: Provided that if, in a year of recruitment, no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virture of his seniority, in the eligibility list of the general category candidates, such person shall also be included in the eligibility list of General category candidates.	For over 5 vacancies	1.5 times the number of vacancies subject to a minimum of 10.
	(2) The Provisions containing in proviso to rule 8 shall mutatis mutandis apply in preparing an eligibility list under this rule.		(2) The provisions contained in proviso to rule 8 shall, mutatis mutandis, apply in preparing an eligibility list under this rule.
	(3) The rest of procedure prescribed in Part III shall mutatis mutandis apply to promotion made under this part except that the select list referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit.		(3) The rest of procedure prescribed in Part III shall, mutatis mutandis, apply to promotion made under this part except that the select list referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 67 राजपत्र (हि०)–(181)–2012–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा0 नियुक्ति–(182)–2012–6000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।